संख्या-87/2025/I/1167622/2025/001-71-2099-34-2024

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2025

विषयः- कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान के रेडिएशन आंकोलॉजी के वाह्य सतह पर टेराकोटा/एल्यूमीनियम सीट का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-KSSSCI/Engg./009/176/2025 दिनांक 27.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के रेडिएशन आंकोलॉजी के वाह्य सतह पर टेराकोटा/ एल्यूमीनियम सीट का कार्य कराये जाने हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त की धनराशि रू0 489.96 लाख वित्तीय वर्ष 2025-26 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के वृहत निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि से अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि मे से धनराशि रू0 489.96 लाख (रूपये चार करोड नवासी लाख छयान्बे हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से 387.06 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से 102.90 लाख) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान/ कार्यदायी संस्था की होगी।
2. निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना की मूल स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-106/2024/I/824542/2024/001-71-2099-34-2024, दिनांक 16.12.2024 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। निदेशक, संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
7. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
8. निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
9. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, संस्थान द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
10. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायें, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, संस्थान का होगा।
12. प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों का आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,87,06,000 (रुपये तीन करोड़ सत्तासी लाख छह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शीर्षक 4210031055900 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,02,90,000 (रुपये एक करोड़ दो लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892400 कैंसर संस्थान, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-87/2025/I/1167622/2025/001-71-2099-34-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ।
8. वित्त ई-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।